3 पुलिस पंचायत में वरिष्ठ जनों को मिली राहत

5 राजनीति के एक प्रमुख और प्रभावशाली नेता

6 ऐतिहासिक है इस बार का बजट: धामी

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 45 प्रति सोमवार, 16 मार्च 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

MP में अपने उद्देश्य से भटकी लाड़ली लक्ष्मी योजना

बालिका शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियों का योजना पर प्रभाव, 80 प्रतिशत बेटियां बीच में ही छोड़ रहीं स्कूल

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

एडिटर

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना कभी राज्य की सबसे चर्चित और महत्वाकांक्षी योजनाओं में गिनी जाती थी। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में की गई थी। इसका मूल उद्देश्य समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकना था। लेकिन हाल ही में विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों ने इस योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक लगभग 52.56 लाख बालिकाओं का पंजीयन

हो चुका है। आंकड़ों के अनुसार, योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिकाओं में से केवल लगभग 20 प्रतिशत लाड़ली लक्ष्मियों को ही योजना का पूरा लाभ मिल पाया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना पर सरकार हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है, लेकिन इसके बावजूद मध्यप्रदेश में सिर्फ 20% बेटियाँ ही बारहवीं कक्षा तक पहुंच पा रही हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और बताती है कि योजना का असली लाभ बेटियों तक नहीं पहुँच रहा। सरकार पिछले 19 वर्षों से इस योजना को बड़ी सफलता के रूप में प्रचारित करती रही है, लेकिन वास्तविक आंकड़े बिल्कुल उलटी तस्वीर दिखाते हैं। इन सबके बाद भी बेटियों की शिक्षा वहीं अटकी हुई है जहाँ सालों पहले थी। यह साफ इशारा है कि योजना का फोकस बेटियों को शिक्षित और सशक्त बनाना नहीं, बल्कि उनका उपयोग राजनीतिक लाभ और वोट बैंक तैयार करने के लिए किया गया है। अगर सरकार वास्तव में बेटियों की शिक्षा को लेकर संवेदनशील होती तो सबसे पहले स्कूलों की गुणवत्ता सुधारती, शिक्षकों की कमी दूर करती, सुरक्षा और सामाजिक वातावरण बेहतर बनाती और जागरूकता अभियान चलाती। (शेष पेज 5 पर)

छत्तीसगढ़ में विकास की नई धारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनसेवा आधारित नेतृत्व

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में पिछले दो वर्षों के दौरान जिस प्रकार परिवर्तन और विकास की नई धारा दिखाई दी है, उसका श्रेय काफी हद तक राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जाता है। अपने अपेक्षाकृत संक्षिप्त कार्यकाल में उन्होंने जिस सक्रियता, संवेदनशीलता और दूरदर्शिता के साथ शासन का संचालन किया है, उससे वे राज्य की जनता के बीच एक लोकप्रिय और भरोसेमंद मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं। उनकी कार्यशैली का मूल आधार जनता से सीधा संवाद, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और प्रदेश के सर्वांगीण विकास का स्पष्ट संकल्प रहा है।

आदिवासी समाज से उभरकर नेतृत्व की ऊंचाइयों तक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जीवन संघर्ष, समर्पण और जनसेवा का उदाहरण है। वे आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाले नेता हैं और इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहचान विशेष महत्व रखती है। राज्य के आदिवासी अंचलों से निकलकर प्रदेश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंचना न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी है बल्कि यह छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक व्यवस्था की समावेशी भावना को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही उन्होंने प्रदेश के दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया। उनकी सोच रही है कि विकास का लाभ केवल शहरों तक सीमित न रहकर गांवों और आदिवासी क्षेत्रों तक भी समान रूप से पहुंचे। (शेष पेज 2 पर)

कमलनाथ ने मोहन सरकार को घेरा, चुनावी वादे और बेरोजगारी के मुद्दे पर उठाए सवाल

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में कमलनाथ का नाम एक मजबूत और सशक्त नेता के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने राज्य की जनता के हित में हमेशा महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने हमेशा अपने कार्यकाल में विकास की दिशा में कई उल्लेखनीय कदम उठाए और जनता के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया। उनकी राजनीतिक यात्रा में उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया, बल्कि हर मुश्किल वक्त में अपने नेतृत्व से मध्यप्रदेश की जनता को सही दिशा भी दिखाई। हाल ही में मध्यप्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार पर उठाए गए उनके सवाल और आलोचनाओं ने यह साबित किया कि कमलनाथ का नेतृत्व केवल विपक्ष में रहकर ही नहीं, बल्कि सत्ता में रहते हुए भी प्रदेश की जनहितैषी योजनाओं की दिशा में था। उनका यह कहना कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने जनता के कल्याण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, मध्यप्रदेश की वर्तमान सरकार की नीतियों पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है।

कमलनाथ की सरकार में जनकल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान

कमलनाथ के कार्यकाल में राज्य सरकार ने बजट को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे वास्तविकता में बदलने के लिए कई अहम योजनाओं को लागू किया। उनके नेतृत्व में, राज्य ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर एक प्रभावी कदम उठाया। कमलनाथ सरकार का स्पष्ट उद्देश्य था कि राज्य में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन मिले, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिल सके। (शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ में विकास की नई धारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनसेवा आधारित नेतृत्व

(पेज 1 का शेष)

किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता

छत्तीसगढ़ को कृषि प्रधान राज्य माना जाता है और राज्य की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए किसानों के हितों को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है। सरकार ने मात्र एक वर्ष के भीतर किसानों के खातों में लगभग 52 हजार करोड़ रुपये की राशि अंतरित कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया है। धान खरीदी समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर ही किसानों को भुगतान कर दिया गया, जिससे किसानों के भीतर उत्साह और विश्वास दोनों बढ़े हैं। धान का उचित मूल्य मिलने से किसानों को अपनी मेहनत का सही प्रतिफल मिला है। इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष लगभग 25 लाख 72 हजार किसानों ने रिकॉर्ड 149 लाख 25 हजार मीट्रिक टन धान की बिक्री की। यह आंकड़ा न केवल कृषि क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है बल्कि किसानों के बढ़ते विश्वास का भी संकेत देता है। जब किसानों के खातों में बड़ी राशि पहुंचती है तो उसका प्रभाव केवल खेती तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। खेती में निवेश बढ़ने से कृषि उपकरणों, ट्रैक्टरों और अन्य मशीनों की बिक्री में भी रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। इससे ग्रामीण बाजारों के साथ-साथ शहरी बाजारों में भी आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना का व्यापक विस्तार

सरकार बनने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया था। शपथ लेने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री की गारंटी के अनुरूप लगभग 18 लाख 12 हजार 743 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। यह निर्णय उन लाखों गरीब परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर आया, जो वर्षों से अपने पक्के घर का सपना देख रहे थे। इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण और शहरी गरीबों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महतारी वंदन योजना

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना किसी भी समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसी सोच के साथ महतारी वंदन योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना ही नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है। यह राशि महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ छोटे स्वरोजगार प्रारंभ करने में भी मददगार साबित हो रही है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार की आर्थिक व्यवस्था में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा

छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने औद्योगिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से राज्य में निवेश को आकर्षित करने की दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। इस नीति के परिणामस्वरूप राज्य में अब तक लगभग 7.69 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यदि ये प्रस्ताव धरातल पर साकार होते हैं तो राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की पहल

छत्तीसगढ़ के बस्तर और अन्य कुछ क्षेत्र लंबे समय से नक्सल हिंसा की समस्या से प्रभावित रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस चुनौती को केवल सुरक्षा के नजरिए से नहीं बल्कि विकास के दृष्टिकोण से भी देखा है। "नियद नेल्लानार योजना" के माध्यम से नक्सल प्रभावित गांवों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास दोनों को साथ लेकर चलने की नीति अपनाई गई है। प्रदेश में अब तक 69 सुरक्षा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और स्थानीय लोगों में विश्वास बढ़ा है।

नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई

राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को भी नई गति मिली है। पिछले दो वर्षों के दौरान लगभग 529 नक्सली मारे गए हैं, 1975 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 2628 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने कुछ कुख्यात नक्सली नेताओं को भी निष्क्रिय किया गया है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि राज्य सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए गंभीर और प्रतिबद्ध है।

केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय

हाल ही में छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। यह आयोजन राज्य की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। इस सम्मेलन ने यह भी दर्शाया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच मजबूत समन्वय स्थापित है, जिससे विकास और सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

विकास की दिशा में समावेशी दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे प्रदेश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और शहरी वर्ग—सभी के लिए योजनाएं बनाकर उन्होंने समावेशी विकास की दिशा में काम किया है। पीएम आवास योजना, कृषक उन्नति योजना, नियद नेल्लानार योजना और अखरा निर्माण योजना जैसी पहलों के माध्यम से सरकार ने सामाजिक और आर्थिक विकास के विभिन्न आयामों को छूने का प्रयास किया है।

कमलनाथ ने मोहन सरकार को घेरा, चुनावी वादे और बेरोजगारी के मुद्दे पर उठाए सवाल

(पेज 1 का शेष)

वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के हाल के बजट पर कमलनाथ का आरोप था कि उसमें आम आदमी और राज्य की जनता के लिए कोई ठोस योजना नहीं दी गई है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में किसानों और महिलाओं के लिए जो वादे किए थे, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रदेश की सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करने के बजाय केवल घोषणाएं की हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।

कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व और विधानसभा में शांति

कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विधानसभा में सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखी है। उन्होंने विधानसभा सत्रों में पक्ष और विपक्ष के बीच स्वस्थ और सार्थक संवाद को बनाए रखने की दिशा में प्रयास किए हैं। उनके कार्यकाल में विधानसभा में कभी भी अनर्थक शब्दों का उपयोग नहीं हुआ और यह राज्य की राजनीति में एक शालीनता का प्रतीक बना। कमलनाथ ने यह सुनिश्चित किया कि विधानसभा में बहस के दौरान केवल मुद्दों पर बात हो, न कि व्यक्तिगत आक्षेप या झगड़े। उनकी यह शैली एक सकारात्मक और लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा रही है जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और विचारशील संवाद को बढ़ावा देती है।

विधानसभा चुनावों से पहले किए गए वादे

भाजपा के चुनावी वादे को लेकर कमलनाथ ने सरकार को कड़ा संदेश दिया कि चुनावों के दौरान किए गए वादों को निभाने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने उन चार प्रमुख वादों की याद दिलाई, जिनका प्रदेश के चुनावी एजेंडे में महत्वपूर्ण स्थान था। किसानों को बेहतर एमएसपी, लाड़ली बहन योजना में लाभ, घरेलू गैस सिलेंडर की सस्ती दरें और रोजगार के अवसर देने का वादा किया गया था, लेकिन बजट में इन योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इससे यह साबित हो गया कि प्रदेश सरकार ने इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया।

मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ आरोप

कमलनाथ के अनुसार, भाजपा का यह रवैया केवल चुनावी फायदा प्राप्त करने का तरीका बन चुका है, न कि जनता की वास्तविक समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने का। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की सरकार अब केवल घोषणाओं और नारेबाजी में उलझ कर रह गई है, जबकि जनता को ठोस विकास चाहिए। कमलनाथ के बयान और उनकी आलोचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि वह प्रदेश की जनता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और उनका उद्देश्य केवल राजनीति नहीं, बल्कि जनता की भलाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार की विफलताओं को उजागर किया है और प्रदेश की असल समस्याओं पर फोकस करने का संदेश दिया है।

आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा पर घमासान, कमलनाथ बोले: प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधेरे में

मध्यप्रदेश में आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा एक बार फिर विवादों में है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा मध्यप्रदेश में भाजपा सरकारों के राज में व्यापमं जैसे घोटाले बराबर जारी हैं। ताजा रिपोर्ट में साबित हुआ है कि 2025 में हुई आरक्षक भर्ती परीक्षा में किस तरह से सुनियोजित ढंग से घोटाला किया गया। भाजपा सरकार की खासियत है कि चाहे व्यापमं घोटाला हो, जाए पटवारी भर्ती घोटाला हो, चाहे आरक्षक भर्ती घोटाला हो, किसी भी घोटाले में कभी मुख्य षड्यंत्रकर्ता नहीं पकड़ा जाता। घोटाले का खुलासा होने पर कुछ छोटी मछलियों को पकड़कर न्याय का नाटक किया जाता है। भाजपा के शासन के कारण मध्यप्रदेश की उच्च शिक्षा और नौकरियों की पात्रता परीक्षाएं पूरी तरह संदिग्ध और अविश्वसनीय हो गई हैं। मध्यप्रदेश की पहचान घोटाला प्रदेश से बन गई है। और प्रदेश के नौजवानों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है।

मध्य प्रदेश बेरोजगारी के मामले में देश में नंबर-1

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर सबसे कम हो गई है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा है कि मोहन यादव झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। लोग परेशान हैं और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री अपने मुंह से तारीफ कर रहे हैं। प्रदेश पूरे देश में बेरोजगारी के मामले में नंबर वन है।

श्री श्री 1008 स्वामी रामनारायणतीर्थ परिव्रजकाचार्य जी का गाडरवारा आगमन, शिष्यों ने लिया आशीर्वाद

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह, गाडरवारा। कालिकाम्बा पीठ, श्रृंगेरी मठ शंकाराचार्य श्री श्री 1008 स्वामीरामनारायण तीर्थ परिव्रजकाचार्य जी का अल्प प्रवास पर गाडरवारा आगमन हुआ। जहां उन्होंने शिष्यों से भेंटकर आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही स्वामी जी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा कि ज्योतिर्मठ के शंकाराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी वैद्यता जांचने का अधिकार न्यायालयों को नहीं सनातन परम्परा के स्तंभ चार प्रमुख मठ व अखाड़ा परिषद को है। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा प्रदान कर देश में चल रही गौवंश की हत्या पर केंद्र सरकार को प्रतिबंध लगाते हुए है हत्या करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहिए। गौ भारत की राष्ट्रीय परम्परा का प्रतीक है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट पर बात करते हुए राममंदिर आंदोलन के सहभागी रहे पूर्व कार्यकर्ताओं को वर्तमान सरकारों में तवज्जो न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की एवं भक्तजनों से अपील की। पवित्र नदियां मां नर्मदा, मां गंगा हमारी धरोहर है उनके पूजन के साथ उनका संरक्षण व उन्हें स्वच्छ रखना हमारा नागरिक कर्तव्य है। नर्मदा तटों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए ऐसा हमें अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करना चाहिए। वैश्विक युद्ध संकट के इस दौर में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग व संसाधनों के संरक्षण की बात कही।

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूलमंत्र से आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़: विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में राजनांदगांव की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि शहर की बढ़ती आबादी के अनुरूप नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इन परियोजनाओं के माध्यम से शहर के हर वार्ड तक विकास की किरण पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूलमंत्र के साथ प्रदेश के संतुलित और समावेशी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अमृत मिशन 2.0 के तहत शहर में घरेलू अपशिष्ट जल के वैज्ञानिक उपचार के लिए दो नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इससे गंदे पानी को सीधे नदियों और नालों में जाने से रोका जा सकेगा और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों के स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नगरोउत्थान योजना के अंतर्गत सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे यातायात अधिक सुगम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनांदगांव में 2 हजार सीटर का विशाल अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, जो संस्कारधानी की कला, साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों को नया मंच प्रदान करेगा। इससे स्थानीय कलाकारों, साहित्यकारों और युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के व्यापक अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह ऑडिटोरियम शहर की एक नई पहचान बनेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर के उन्नयन, नाली निर्माण, पाइपलाइन विस्तार तथा शहर के 51 वार्डों में मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष बजट प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए नए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि राजनांदगांव केवल स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लेने वाला शहर न रहे, बल्कि देश के अग्रणी स्वच्छ शहरों में अपनी पहचान बनाए। उन्होंने कहा कि संसाधनों का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से विकास कार्यों की गति तेज की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के मार्गदर्शन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से राजनांदगांव तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके विजन और जनसहभागिता से शहर को छत्तीसगढ़ की एक मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने जिले के विकास से संबंधित लंबित अधोसंरचना प्रस्तावों को भी शीघ्र स्वीकृत करने का आश्वासन दिया।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजनांदगांव उनके दिल के बेहद करीब है और आज का दिन शहर के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि संकल्प बजट 2026-27 में राजनांदगांव जिले के समग्र विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि शिवनाथ नदी के संरक्षण, संवर्द्धन और विकास के लिए 250 करोड़ रुपये की योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों के माध्यम से अनेक विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 20 करोड़ रुपये, स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 20 करोड़ रुपये, नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत 60 करोड़ रुपये, तथा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से लगभग 200 करोड़ रुपये के कार्य शामिल हैं।

विधायक निधि को लगा पलीता, टिमरनी के चारखेड़ा मालोना ग्राम पंचायत का मामला, मल्टी जिम की सामग्री हुई लापता

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। तहसील की ग्राम पंचायत चारखेड़ा मालोना का मामला है। जहां विधायक निधि से स्वीकृत राशि के माध्यम से मल्टी जिम की सामग्री रखरखाव एवं ग्रामीणों के लिए चारखेड़ा मालोना ग्राम पंचायत को मिली थी परन्तु अब वर्तमान स्थिति में वहां पर केवल एक ढांचा ही शेष रह गया है और मौका स्थल पर मल्टी जिम की सामग्री लापता नजर आ रही है। इस विषय में जानकारी वर्तमान सचिव राजेश पाटिल से ली गई तो उन्होंने मीडिया को बताया कि केवल अब ढांचा शेष रह गया है। विगत दो वर्षों से मल्टी जिम की सामग्री निष्क्रिय है। उस दौरान कार्यकाल पूर्व सचिव संदीप देवराले का होना बताया जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से देखा जाए तो ग्राम पंचायत चारखेड़ा मालोना की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। इस प्रकार विधायक निधि से निकले पैसे का दुरुपयोग होता हुआ नजर आ रहा है। इस विषय में जनपद पंचायत टिमरनी सीईओ चेतना पाटिल के समक्ष रखी तो उनका कहना है कि इस मामले की जांच करवाते हैं। जांच उपरांत बता पाएंगे।

बढ़ती गर्मी के बीच स्कूल सत्र टालने की मांग: फीस के लालच में बच्चों को बुला रहे निजी स्कूल, लू और गर्म हवाओं से बच्चों को खतरा: विवेक त्रिपाठी

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. भोपाल। प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अप्रैल से शुरू होने वाले नए स्कूल सत्र को स्थगित करने की मांग उठने लगी है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने सरकार से अपील की है कि भीषण गर्मी के दौरान छोटे बच्चों को स्कूल बुलाना उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। उन्होंने इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजकर स्थिति पर तत्काल फैसला लेने की मांग की है। उनका कहना है कि कई निजी स्कूल फीस के लालच में जल्द सत्र शुरू कर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

मार्च से ही बढ़ने लगा तापमानः विवेक त्रिपाठी ने अपने पत्र में कहा है कि प्रदेश में मार्च की शुरुआत से ही तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले महीनों में अप्रैल और मई के दौरान लू और भीषण गर्म हवाओं का असर और अधिक बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। खासकर प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए तेज गर्मी में स्कूल आना-जाना कठिन हो जाता है।

निजी स्कूलों पर लगाया फीस के लालच का आरोपः त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में कई निजी स्कूल हर साल जल्दी नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर देते हैं। कुछ स्कूल मार्च, अप्रैल और जून में ही छोटी कक्षाओं के बच्चों को स्कूल बुलाने लगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा मुख्य रूप से फीस वसूली के कारण किया जाता है। इससे मासूम बच्चों और उनके अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी गंभीर खिलवाड़ होता है।

लू और डिहाइड्रेशन का खतरा

उन्होंने कहा कि तेज गर्मी के कारण बच्चों में डिहाइड्रेशन, लू लगना, चक्कर आना और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए समय पर निर्णय लेना चाहिए। त्रिपाठी ने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा किसी भी प्रशासनिक प्रक्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द फैसला लेना चाहिए ताकि भीषण गर्मी में बच्चों को किसी तरह की परेशानी या खतरे का सामना न करना पड़े।

पुलिस पंचायत में सीनियर सिटीजन को मिली राहत, जमीन और पारिवारिक विवाद सहित कई प्रकरण आपसी सहमति से सुलझे

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। पुलिस अधीक्षक विदिशा रोहित काशवानी के निर्देशानुसार गठित पुलिस पंचायत की साप्ताहिक बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में पंचायत कोर कमेटी सदस्य आर. कुलश्रेष्ठ, प्रमोद व्यास, विनोद शाह, डी.के. वाजपेयी, अजय टंडन, अतुल शाह एवं डॉ. सचिन गर्ग उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई कर आपसी समझाइश एवं परामर्श के माध्यम से समाधान कराया गया।

प्रकरण क्रमांक 01: एक सीनियर सिटीजन महिला द्वारा शिकायत की गई कि वे भोपाल में निवास करती हैं तथा उनकी विदिशा स्थित जमीन को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत उन्होंने 15 लाख रुपये दिए थे, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो सकी और राशि भी वापस नहीं मिल रही थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की विस्तृत चर्चा कराई गई। पंचायत के परामर्श पर दोनों पक्ष सहमत हुए कि आवेदिका को मूल राशि के साथ ब्याज एवं अन्य खर्च के रूप में 2.5 लाख रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।

प्रकरण क्रमांक 02: अरिहंत विहार कॉलोनी निवासी एक सीनियर सिटीजन महिला ने अपनी बहू एवं उसके परिजनों द्वारा दुर्व्यवहार एवं विवाद होने की शिकायत की थी। पंचायत में दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाकर समझाइश दी गई तथा भविष्य में विवाद न करने की सलाह दी गई। इस पर महिला के पुत्र एवं बहू ने आवेदिका को परेशान न करने और आपसी सौहार्द बनाए रखने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर संतुष्टि व्यक्त की।

प्रकरण क्रमांक 03: निकासा निवासी एक सीनियर सिटीजन ने शिकायत की कि उनके पैतृक मकान पर अन्य भाइयों के परिजनों ने कब्जा कर रखा है और उन्हें अपने हिस्से का अधिकार नहीं मिल रहा है। पंचायत में तीसरी बार हुई सुनवाई के दौरान दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, जिसमें आवेदक का दावा उचित पाया गया। इसके बाद अन्य पक्ष आवेदक को उसके हिस्से के बदले 4 लाख रुपये देने पर सहमति बनी। आवेदक ने इस निर्णय पर राहत और संतोष व्यक्त किया।

सम्पादकीय

इजराइल-अमेरिका और ईरान के युद्ध की आंच भारत की रसोई तक पहुंची

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध की स्थिति का असर केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हाल के दिनों में इजराइल यूनिइटेड स्टेट और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक राजनीति के साथ-साथ ऊर्जा बाजारों को भी अस्थिर कर दिया है। इसका सीधा असर भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर पड़ रहा है, और इसकी आंच अब आम भारतीय परिवार की रसोई तक महसूस की जा रही है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। विशेष रूप से कच्चे तेल के मामले में भारत की निर्भरता 80 प्रतिशत से अधिक है। पश्चिम एशिया, खासकर पर्सियन गल्फ क्षेत्र, दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है।

जब इस इलाके में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो तेल की आपूर्ति पर संकट की आशंका पैदा हो जाती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का असर केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता। परिवहन लागत बढ़ने से खाद्यान्न, सब्जियां, दालें और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। भारत में पहले से ही महंगाई एक संवेदनशील मुद्दा रही है। यदि तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी रहती हैं तो इसका दबाव सीधे आम जनता की रसोई पर पड़ता है। गैस सिलेंडर से लेकर खाने-पीने की वस्तुओं तक सब महंगे हो जाते हैं। इसके अलावा युद्ध की स्थिति वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को भी प्रभावित करती है। समुद्री मार्गों में असुरक्षा बढ़ने से व्यापार धीमा पड़ जाता है। खासकर होर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग, जिनसे दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, यदि अस्थिर हो जाएं तो वैश्विक बाजार में घबराहट बढ़ जाती है। भारत के लिए यह चिंता का विषय है क्योंकि उसके लिए तेल की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।

भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है, लेकिन ऊर्जा कीमतों में तेज वृद्धि इस गति को प्रभावित कर सकती है। सरकार को एक ओर महंगाई नियंत्रित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो दूसरी ओर राजकोषीय संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होता है। यदि तेल महंगा होता है तो या तो सरकार को करों में कटौती करनी पड़ती है या फिर जनता को महंगे ईंधन का बोझ उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के लिए ऊर्जा और क्षेत्रीय रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण देश रहा है। इसलिए भारत को ऐसी नीति अपनानी होती है जिससे उसके राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें और ऊर्जा आपूर्ति भी बाधित न हो। दीर्घकालिक समाधान के रूप में भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाना समय की मांग है। इसके साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना भी जरूरी है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव हमें यह याद दिलाता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की आग अक्सर आम लोगों की रसोई तक पहुंच जाती है। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वह दूरदर्शी ऊर्जा नीति और संतुलित कूटनीति के जरिए ऐसे संकटों के प्रभाव को कम करने की दिशा में लगातार प्रयास करता रहे।

सियासी गहमागहमी

किसानों का हित साधने शिवराज के पास पहुंचे मोहन

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉ. मोहन यादव की हालिया मुलाकात को मध्य प्रदेश की कृषि राजनीति और किसान हितों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलना केवल एक औपचारिक भेंट नहीं, बल्कि राज्य के किसानों के लिए केंद्र से अधिक सहयोग और योजनाओं की अपेक्षा का संकेत भी है। मध्य प्रदेश को कृषि प्रधान राज्य माना जाता है और यहां बड़ी संख्या में किसान अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में जब राज्य का मुख्यमंत्री केंद्र के कृषि से जुड़े वरिष्ठ नेता से किसानों के हितों के लिए "खुशी मांगने" पहुंचे, तो यह स्पष्ट संदेश देता है कि राज्य सरकार किसानों को अधिक राहत और लाभ दिलाने के प्रयास में है। दरअसल, शिवराज सिंह चौहान स्वयं लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और किसानों से उनका गहरा जुड़ाव माना जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का उनसे मिलना यह उम्मीद भी जगाता है कि केंद्र और राज्य के समन्वय से किसानों के लिए नई योजनाएं, बेहतर समर्थन मूल्य, सिंचाई परियोजनाएं और कृषि विकास से जुड़े फैसले सामने आ सकते हैं।

मध्यप्रदेश कांग्रेस से राज्यसभा में जाने के लिए लगी होड़

मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस पार्टी के भीतर राज्यसभा सीटों को लेकर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ और सक्रिय नेता राज्यसभा के जरिए संसद में पहुंचने की कोशिश में लगे हैं, जिससे संगठन के भीतर प्रतिस्पर्धा और चर्चा दोनों बढ़ गई हैं। राज्यसभा को राजनीति में एक महत्वपूर्ण मंच माना जाता है, जहां से नेता राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मध्यप्रदेश कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा या लोकसभा के जरिए संसद तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे नेताओं के लिए राज्यसभा एक बड़ा अवसर माना जाता है। हालांकि यह होड़ केवल महत्वाकांक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि पार्टी के लिए संतुलन बनाने की चुनौती भी है। नेतृत्व को यह तय करना होगा कि राज्यसभा के लिए ऐसे चेहरों को भेजा जाए जो न केवल अनुभवी हों, बल्कि संसद में प्रभावी ढंग से पार्टी की आवाज भी उठा सकें। साथ ही क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि राज्यसभा सीटों को लेकर बढ़ती सक्रियता मध्यप्रदेश कांग्रेस में नई राजनीतिक हलचल का संकेत है। अब सबकी नजर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर है कि वह किसे मौका देकर संगठन और राजनीति दोनों के समीकरण साधने की कोशिश करता है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

मैंने संसद में कहा कि मोदी सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया है - माइक बंद कर दिया गया। मैंने मोदी जी का नाम एपस्टीन फ़ाइल में होने का जैसे ही ज़िक्र किया - माइक बंद कर दिया गया। मैंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एपस्टीन से जुड़े सवाल उठाए - माइक बंद कर दिया गया।
सौ बातों की एक बात, जो दबाए न दबेगी - नरेंदर सरेंडर हो गया है।
-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश में रसोई गैस के सिलेंडर की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है।
लोग घंटों तक सिलेंडर की लाइन में लगे हुए है, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।
-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

भारतीय राजनीति के एक प्रमुख और प्रभावशाली नेता हैं मनीष तिवारी

समता पाठक/जगत प्रवाह

मनीष तिवारी भारतीय राजनीति के एक प्रमुख और प्रभावशाली नेता हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वे अपनी स्पष्ट वक्तृत्व शैली, कानूनी समझ और राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सांसद, केंद्रीय मंत्री, लेखक और वकील के रूप में भारतीय सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनीष तिवारी का जन्म 8 दिसंबर 1965 को चंडीगढ़ में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ में प्राप्त की और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। छात्र जीवन से ही उनकी रुचि राजनीति और सार्वजनिक जीवन में थी। विश्वविद्यालय के दिनों में वे छात्र राजनीति और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में सक्रिय रहे। मनीष तिवारी का राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू हुआ। वे एनएसयूआई से जुड़े और बाद में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके बाद वे इंडियन यूथ कांग्रेस में भी सक्रिय रहे और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इस दौर में उन्होंने युवा नेताओं के बीच अपनी पहचान मजबूत की। मनीष तिवारी पहली बार 2009 में लुधियाना लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। वे 2009 से 2014 तक संसद सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। 2012 में उन्हें भारत सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में 2012 से 2014 तक कार्य किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने मीडिया नीति, प्रसारण सुधार और फिल्म उद्योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों में भूमिका निभाई। बाद में 2019 के आम चुनाव में वे आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। संसद में वे राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े विषयों पर सक्रिय रूप से बोलते रहे हैं।

राजनीति के अलावा मनीष तिवारी एक लेखक और विचारक भी हैं। उन्होंने कई लेख और पुस्तकें लिखी हैं जिनमें भारत की राजनीति, सुरक्षा और विदेश नीति पर चर्चा की गई है। इन पुस्तकों में उन्होंने भारत की सुरक्षा चुनौतियों और राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण किया है। मनीष तिवारी को एक स्पष्टवादी और वैचारिक रूप से सक्रिय नेता माना जाता है। वे अक्सर लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती के पक्ष में बोलते हैं। एक वकील होने के कारण उनके तर्क तथ्यात्मक और कानूनी आधार पर मजबूत माने जाते हैं। कुल मिलाकर मनीष तिवारी भारतीय राजनीति के ऐसे नेता हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर केंद्रीय मंत्री और सांसद तक का लंबा सफर तय किया है। उनकी राजनीतिक समझ, लेखन क्षमता और सार्वजनिक मुद्दों पर स्पष्ट दृष्टिकोण उन्हें समकालीन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बनाता है। वे संसद और सार्वजनिक विमर्श में सक्रिय भूमिका निभाते हुए देश के लोकतांत्रिक ढांचे और नीतिगत चर्चाओं में निरंतर योगदान दे रहे हैं।

MP में अपने उद्देश्य से भटकी लाड़ली लक्ष्मी योजना

(पेज 1 का शेष)

लेकिन सरकार ने इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया। जोश और प्रचार में बेटियों की तस्वीरें तो खूब इस्तेमाल की गईं, लेकिन उनकी शिक्षा के लिए जमीन पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए। सच्चाई यही है कि यदि वास्तव में विचार और नीयत शिक्षा सुधार की होती तो आज 20% नहीं, बल्कि अधिकांश बेटियाँ बारहवीं तक पहुँच रही होतीं।

यह स्थिति इस महत्वाकांक्षी योजना की प्रभावशीलता और प्रशासनिक कार्यप्रणाली दोनों पर प्रश्नचिह्न लगाती है। लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश की उन योजनाओं में से एक है, जिसने बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उम्मीदें जगाई थीं। लेकिन यदि वास्तव में केवल 20 प्रतिशत लाभार्थियों को ही इसका पूरा लाभ मिल रहा है, तो यह स्थिति चिंताजनक है। यह केवल एक योजना की विफलता का मामला नहीं है, बल्कि इससे समाज में बेटियों के भविष्य से जुड़ी उम्मीदों पर भी असर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि राज्य सरकार इस योजना के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा करे और इसमें मौजूद कमियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए। यदि प्रशासनिक सुधार, जागरूकता और शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर प्रयास किए जाएं, तो लाड़ली लक्ष्मी योजना फिर से अपने मूल उद्देश्य की ओर लौट सकती है और वास्तव में लाखों बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। योजना से जुड़े सरकारी आंकड़ों में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कक्षा 5वीं के बाद करीब 52% बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी, जबकि कॉलेज स्तर तक केवल लगभग 20% बालिकाएं ही पहुंच पा रही हैं। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में छात्रवृत्ति पाने वाली बेटियों की संख्या तेजी से घटती दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सामाजिक और आर्थिक कारणों के चलते बड़ी संख्या में बालिकाएं शिक्षा से दूर हो रही हैं।

19 साल में 52.2 लाख लड़कियों का पंजीयन

साल 2010-11 में पहली कक्षा में शामिल 11.07 लाख बच्चियों में से केवल साल 2021-22 तक 3.44 लाख छात्राएं ही 12वीं कक्षा तक पहुंच सकी। ये करीब 30 फीसदी है। साल 2025 कि बात करें तो यह आंकड़ा गिरकर 19.97 प्रतिशत तक पहुंच गया। वर्ष 2007 से 2025 तक कुल 52.2 लाख बेटियों का पंजीयन हुआ। वर्ष 2012 में सर्वाधिक 3 लाख 54 हजार 271 पंजीयन हुए। 2021 में 3 लाख 44 हजार 649 और 2025 में 2,72,006 बेटियों का नामांकन हुआ। इसके बावजूद 2025-26 तक पात्र 26.13 लाख लाड़ली लक्ष्मियों में से केवल 13.68 लाख यानी 52.35 प्रतिशत ने ही छठी कक्षा में प्रवेश लिया। नौवीं में यह प्रतिशत घटकर 42.21 रह गया।

बजट में 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान

एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि जब योजना का लाभ सीमित संख्या तक ही पहुंच रहा है, तो फिर राज्य सरकार ने वर्तमान बजट में 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान क्यों किया है। संभव है कि सरकार योजना के दायरे को और अधिक बढ़ाने या इसके क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए यह बजट रख रही हो। लेकिन यदि मौजूदा व्यवस्था में ही खामियां बनी रहती हैं, तो केवल बजट बढ़ाने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएंगे।

इस तरह मिलता है लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ

2007-08 से 2010-11 के बीच पंजीकृत 7.46 लाख बेटियों पर लगभग 7400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं 2011-12 में पंजीकृत 3.80 लाख बेटियों के लिए 3800 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इस योजना के तहत छठी कक्षा में 2 हजार रुपये, नौवीं में 04 हजार रुपये, 11वीं और 12वीं में 6-6 हजार रुपये, कॉलेज में 25 हजार रुपये और 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर 01 लाख रुपये दिए जाते हैं।

सामने आई वास्तविकता

हालांकि विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों ने इस योजना की वास्तविक स्थिति को उजागर कर दिया है। बताया गया कि पंजीकृत बालिकाओं में से बहुत कम संख्या को ही योजना का पूर्ण लाभ मिल पाया है। यदि वास्तव में केवल 20 प्रतिशत लाभार्थियों तक ही योजना का लाभ पहुंच रहा है तो यह योजना के क्रियान्वयन में गंभीर खामियों की ओर संकेत करता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने चुनौती

वर्तमान में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार काम कर रही है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब योजना का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण है, तो इसके क्रियान्वयन में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है। सरकार की ओर से लगातार यह दावा किया जाता रहा है कि बेटियों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन यदि लाड़ली लक्ष्मी जैसी प्रमुख योजना ही अपने लक्ष्य से पीछे रह जाए, तो यह सरकार की नीतियों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा करता है।

गिरता शैक्षिक स्तर भी चिंता का विषय

लाड़ली लक्ष्मी योजना की सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार बालिका शिक्षा है। लेकिन राज्य में लड़कियों के शैक्षिक स्तर को लेकर भी चिंता व्यक्त की जा रही है। कई क्षेत्रों में बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर अभी भी अधिक है। इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक दोनों कारण हैं। गरीब परिवारों में अक्सर बेटियों की शिक्षा को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती, जितनी बेटों की। वहीं कई ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की दूरी, परिवहन की कमी और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बालिकाओं की शिक्षा में बाधा बनती हैं। जब बालिकाएं शिक्षा से दूर होती हैं, तो वे स्वतः ही योजना की कई शर्तों को पूरा नहीं कर पातीं और परिणामस्वरूप उन्हें योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

इस स्थिति के कई संभावित कारण सामने आते हैं-

पहला कारण प्रशासनिक जटिलताएं: योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कई स्तरों पर दस्तावेजी प्रक्रिया और सत्यापन की आवश्यकता होती है। ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए इन प्रक्रियाओं को पूरा करना अक्सर कठिन हो जाता है।

दूसरा कारण जागरूकता की कमी: राज्य के दूर-दराज के इलाकों में कई परिवारों को योजना की शर्तों और लाभों की पूरी जानकारी नहीं होती। परिणामस्वरूप वे समय पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाते।

तीसरा कारण शिक्षा से जुड़ी शर्तें: योजना की कई किश्तें बालिका की शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। यदि बालिका किसी कारण से पढ़ाई छोड़ देती है या नियमित रूप से स्कूल नहीं जाती, तो उसे योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

सुधार के लिए आवश्यक कदम

लाड़ली लक्ष्मी योजना को प्रभावी बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

प्रक्रिया को सरल बनाना।

योजना की आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, ताकि गरीब और ग्रामीण परिवार भी आसानी से इसका लाभ ले सकें।

जागरूकता अभियान चलाना।

राज्य सरकार को गांव-गांव और कस्बों में जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि हर परिवार को योजना की जानकारी हो।

शिक्षा से जोड़कर मजबूत निगरानी।

बालिका शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए। इससे बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति कम हो सकती है।

डिजिटल व्यवस्था का विस्तार।

यदि योजना के संचालन में डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक उपयोग किया जाए, तो पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभार्थियों की सही निगरानी भी संभव होगी।

ऐतिहासिक है इस बार का बजट: पुष्कर सिंह धामी

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार प्रस्तुत बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह वर्तमान विधानसभा का अंतिम पूर्णकालिक बजट होने के साथ-साथ राज्य के आगामी विकास की दिशा तय करने वाला दस्तावेज भी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि राज्य के सवा करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों का प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में मातृशक्ति के सम्मान, युवाओं के उत्थान, किसानों के कल्याण, विज्ञान एवं नवाचार के विकास, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पर्यटन के विस्तार जैसे सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा भी करती है। उन्होंने बताया कि मुख्य सेवक के रूप में की गई 3885 घोषणाओं में से 2408 घोषणाओं को धरातल पर उतारा जा चुका है और शेष पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं बल्कि उन्हें परिणामों में बदलना है, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य की जीएसडीपी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और प्रति व्यक्ति आय में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य बजट का आकार भी 60 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इसके साथ ही निवेश, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 30 से अधिक नई नीतियां लागू की हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं और स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर लगभग 1750 हो गई है। उन्होंने कहा कि पर्यटन, होटल और होमस्टे क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। हेली सेवाओं और हेलीपोर्ट की संख्या बढ़ने से भी पर्यटन और कनेक्टिविटी को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करते हुए उत्तराखंड का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार का "विकल्प रहित संकल्प" है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों की आय बढ़े और उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जनता के सहयोग और सरकार की प्रतिबद्धता के बल पर उत्तराखंड आने वाले वर्षों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से नगर पालिक निगम राजनांदगांव के विभिन्न विकास कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 226 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने राजनांदगांववासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह भूमिपूजन केवल विकास कार्यों की शुरुआत नहीं, बल्कि शहर के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है।

विधायिका लाए नागरिकों के लिए समान कानून

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं को उत्तराधिकार में पुरुषों के बराबर अधिकार देने की मांग से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए समान नागरिक संहिता के परिप्रेक्ष्य में कहा कि अब इसे लागू करने का समय आ गया है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी 1937 के शरिया कानून के प्रावधानों को मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे निरस्त करने के अनुरोध वाली याचिका पर की है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जोयमाल्या बागची और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि सभी धर्मों की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक समान कानून की जरूरत है। लेकिन केवल विधायिका को ही इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि न्यायालय शरिया उत्तराधिकार कानून को खत्म करता है तो इससे कानून में शून्य की स्थिति पैदा हो जाएगी। यह जनहित याचिका पोलोमी पाविनी एवं आयशा जावेद ने दाखिल की हुई है। हालांकि गोवा और उत्तराखंड राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है, इसका अनुसरण अन्य, राज्य भी करने को स्वतंत्र हैं। संविधान में दर्ज नीति-निर्देशक सिद्धांत यही अपेक्षा रखता है कि समान नागरिकता लागू हो। जिससे देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक ही तरह का कानून वजूद में आ जाए, जो सभी धर्मों, संप्रदायों और जातियों पर लागू हो। आदिवासी और घुमंतू जातियां भी इसके दायरे में आएं। केंद्र में सत्तारूढ़ राजग सरकार से यह उम्मीद ज्यादा इसलिए है, क्योंकि यह मुद्दा भाजपा के बुनियादी मुद्दों में शामिल है। इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां बहुधर्मों के व्यक्तिगत कानून और वे जातीय मान्यताएं हैं, जो विवाह, परिवार, उत्तराधिकार और गोद जैसे अधिकारों को दीर्घकाल से चली आ रही क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को कानूनी स्वरूप देती हैं। इनमें सबसे ज्यादा भेद महिलाओं से बरता जाता है। एक तरह से ये लोक प्रचलित मान्यताएं महिला को समान हक देने से खिलवाड़ करती हैं। लैंगिक भेद भी इनमें स्पष्ट परिलक्षित हैं। मुस्लिमों के विवाह व तलाक कानून महिलाओं की अनदेखी करते हुए पूरी तरह पुरुशों के पक्ष में हैं। ऐसे में इन विरोधाभासी कानूनों के तहत न्यायपालिका को सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है। अदालत में जब पारिवारिक विवाद आते हैं तो अदालत को देखना पड़ता है कि पक्षकारों का धर्म कौनसा है? और फिर उनके धार्मिक कानून के आधार पर विवाद का निराकरण करती हैं। इससे व्यक्ति का मानवीय पहलू तो प्रभावित होता ही है, अनुच्छेद 44 की भावना का भी अनादर होता है। दरअसल ब्रिटिशकालीन भारत-1772 में सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े अलग-अलग कानून बने थे, जो आजादी के बाद भी अस्तित्व में हैं। हालांकि अब तीन तलाक खत्म कर दिया गया है।

वैसे तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी मूल्य समानता है, लेकिन बहुलतावादी संस्कृति, पुरातन परंपराएं और धर्मनिरपेक्ष राज्य अंततः कानूनी असमानता को अक्षुण्ण बनाए रखने का काम करते रहे हैं। इसलिए समाज लोकतांत्रिक प्रणाली से सरकारें तो बदल देता है, लेकिन सरकारों को समान कानूनों के निर्माण में दिक्कतें आती हैं। इस जटिलता को सत्तारूढ़ सरकारें समझती हैं। संविधान के भाग-4 में उल्लेखित राज्य-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता लागू करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता पर क्रियान्वयन कर सकता है। किंतु यह प्रावधान विरोधाभासी है, क्योंकि संविधान के ही अनुच्छेद-26 में विभिन्न धर्मावलंबियों को अपने व्यक्तिगत प्रकरणों में ऐसे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं,जो धर्म-सम्मत कानून और लोक में प्रचलित मान्यताओं के हिसाब से मामलों के निराकरण की सुविधा धर्म संस्थाओं को देते हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता की डगर कठिन है। क्योंकि धर्म और मान्यता विशेष कानूनों के स्वरूप में ढलते हैं तो धर्म के पीठासीन, मंदिर, मस्जिद और चर्च के मुखियाद्ध अपने अधिकारों को हनन के रूप में देखते हैं। इस्लाम और ईसाइयत से जुड़े लोग इस परिप्रेक्ष्य में यह आशंका भी व्यक्त करते हैं कि यदि कानूनों में समानता आती है तो इससे बहुसंख्यकों, मसलन हिंदुओं का दबदबा कायम हो जाएगा। जबकि यह परिस्थिति तब निर्मित हो सकती है, जब बहुसंख्यक समुदाय के कानूनों को एकपक्षीय नजरिया अपनाते हुए अल्पसंख्यकों पर थोप दिया जाए? यह पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में कतई संभव नहीं है। विभिन्न पर्सनल कानून बनाए रखने के पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि समान कानून उन्हीं समाजों में चल सकता है,जहां एक धर्म के लोग रहते हों? भारत जैसे बहुधर्मी देश में यह व्यवस्था इसलिए मुश्किल है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के मायने हैं कि विभिन्न धर्म के अनुयायियों को उनके धर्म के अनुसार जीवन जीने की छूट हो? इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शासन पद्धति, बहुधार्मिकता और बहु सांस्कृतिकता को बहुलतावादी समाज के अंग माने गए हैं। इस विविधता के अनुसार समान अपराध प्रणाली तो हो सकती है, किंतु समान नागरिक संहिता संभव नहीं है? इस दृष्टि से देश में 'समान दंड प्रक्रिया संहिता-1973' तो बिना किसी विवाद के आजादी के बाद से लागू है, लेकिन सम्मन नागरिकता संहिता के प्रयास अदालत के बार-बार निर्देश के बावजूद संभव नहीं हुए हैं। अब 1923 में संसद में किए बदलाव के बाद दंड प्रक्रिया संहिता को 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 कहा जाने लगा है। कई सामाजिक और महिला संगठन अर्से से मुस्लिम पर्सनल लॉ पर पुनर्विचार की जरूरत जता रहे हैं। इसी मांग का परिणाम तीन तलाक का समापन है। मुस्लिमों में बहुविवाह पर रोक की मांग भी इस याचिका में उठाई गई थी, इस संदर्भ में जस्टिस बागची ने कहा कि 'एक व्यक्ति के लिए एक पत्नी का नियम सभी समुदायों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि अदालत सभी दो विभागों को असंवैधानिक घोषित कर दे ? इसलिए हमें संविधान के नीति-निदेषक सिद्धांतों का क्रियान्वयन विधायी षक्तियों पर छोड़ना होगा।' साफ है, न्यायालय ने कानून की समीक्षा की जरूरत को अहम मान रही है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि खुद मुस्लिम समाज के भीतर पर्सनल लॉ को लेकर बेचैनी बढ़ी है। ऐसे महिला और पुरुश बड़ी संख्या में आगे आए हैं, जो यह मानते हैं कि पर्सनल लॉ में परिवर्तन समय की जरूरत है। इस परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम संगठनों की प्रतिनिधि संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ये-मुशावरत ने भी अपील की थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलेमा मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार किए जाएं। इस्लाम के अध्येता असगर अली इंजीनियर मानते थे कि भारत में प्रचलित मुस्लिम पर्सनल लॉ दरअसल 'ऐंग्लो मोहम्मडन लॉ' है, जो फिरंगी हुकूमत के दौरान अंग्रेज जजों द्वारा दिए फैसलों पर आधारित है। लिहाजा इसे संविधान की कसौटी पर परखने की जरूरत है।

दरअसल देश में जितने भी धर्म व जाति आधारित निजी कानून हैं, उनमें से ज्यादातर महिलाओं के साथ लैंगिक भेद बरतते हैं। बावजूद ये कानून विलक्षण संस्कृति और धार्मिक परंपरा के पोशक माने जाते हैं, इसलिए इन्हें वैधानिकता हासिल है। इनमें छेड़छाड़ नहीं करने का आधार संविधान का अनुच्छेद-25 बना है। इसमें सभी नागरिकों को अपने धर्म के पालन की छूट दी गई है। दरअसल संविधान निर्माताओं ने महसूस किया था कि विवाह और भरण-पोषण से जुड़े मामलों का संबंध किसी पूजा-पद्धति से न होकर इंसानियत से है। लिहाजा यदि कोई निसंतान व्यक्ति बच्चे को गोद लेकर अपनी वंष परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता है अथवा इससे उसे सुरक्षा-बोध का अहसास होता है तो यह किसी धर्म की अवमानना कैसे हो सकती है? यदि किसी कानून से किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा मिलती है या पति से अलग होने के बाद उसे दरबदर भटकने की बजाय गुजारे भत्ते की व्यवस्था की जाती है तो इसमें उसका धर्म आड़े कहां आता है? स्त्री-पुरूष के दांपत्य संबंधों में यदि समानता और स्थायित्व तय किया जाता है तो इससे किसी भी सभ्य समाज की गरिमा ही बढ़ेगी, न कि उसे लज्जित होना पड़ेगा? लेकिन इस लैंगिक भेद को वर्तमान स्थिति से समझने की जरूरत है। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति की चार बेटियां हैं तो शादी से पहले चारों के समान अधिकार होते हैं। वहीं यदि एक बेटी हिंदू, मुस्लिम, तीसरी पारसी और चौथी ईसाई से विवाह करती है तो चारों के अधिकार भिन्न-भिन्न हो जाएंगे। तय है, यह कानूनी विशमता है और संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्षता व समानता के सिद्धांत की अवज्ञा है।

ईसाई समाज में युवक-युवती ने यदि चर्च में शादी की है, तो उनको चर्च में आपसी सहमति से संबंध-विच्छेद का अधिकार है। किंतु यही सुविधा 'हिंदू विवाह अधिनियम' में नहीं है। यदि हिंदू युगल मंदिर में स्वयंवर रचाते हैं और कालांतर में उनमें तालमेल नहीं बैठता है तो वे चर्च की तरह मंदिर में जाकर आपसी सहमति से तलाक नहीं ले सकते? उन्हें परिवार न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही तलाक मिलता है। जबकि यदि हम परंपरा को कायम रखना चाहते हैं तो मंदिरों को तलाक का अधिकार भी देना चाहिए? हिंदुओं में खाप पंचायतें एक गोत्र में शादी करने की प्रबल विरोधी हैं। कई जनजातियां अपनी लोक मान्यताओं के अनुसार गांव और जाति से बाहर विवाह को वर्जित मानती हैं। हालांकि जैसे-जैसे धर्म समुदाय शिक्षित होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे निजी कानून और मान्यताएं निष्प्रभावी हैं, लेकिन धार्मिक कट्टरता से जुड़े कुछ लोग हैं, जो अपनी हितपूर्तियों के लिए अनुचित रीति-रिवाजों में भी बदलाव नहीं चाहते हैं।

पर्यावरण की फिक्र

पानी की हर बूंद कीमती, हर बूंद सहेजें

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद

गर्मियां शुरु हो चुकी है। पेयजल की किल्लत भी इसके साथ शुरु हो जायेगी। हालांकि पेयजल की किल्लत तो सालों भर रहता है। जल एक ऐसा तत्व है जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी की महत्ता उस प्यासे गले से पूछिए जिसे एक एक बूंद अमृत सरीखी लगती है। कोई भी तरल जल का विकल्प नही बन सका है। जल से प्रारंभ होकर जल में लीन हो जाने वाले हमारे इस शरीर में लगभग 70 प्रतिशत जल है। इसी पानी के कारण हमारी धरती दूसरे ग्रहों से भिन्न है। धरती पर इंसानियत तभी पनपी क्योंकि वहां अमृत सरीखा पानी प्रचुर मात्रा में था। तो खारा पानी गया कहां? हम इंसान की नासमझी के कारण जल संपदा दिनोंदिन न सिर्फ कम होता जा रहा है, बल्कि प्रदुषित होता जा रहा है। इस संपदा पर आज संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चूंकि जल पर जीवन निर्भर है इसलिए यह कह सकते हैं कि इसके साथ हमारा जीवन भी संकटग्रस्त होता जा रहा है। यह खतरा दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। इसकी गंभीरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "मन की बात" कार्यक्रम मे जिक्र करने से लगता है जिसमें उन्होंने जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने का सुझाव दिया था। देश में गहराते संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने "जल शक्ति मंत्रालय" का गठन किया। एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत में 2030 तक 50 प्रतिशत पानी की कमी होगी। एक आंकड़े के अनुसार दुनिया में 2.2 अरब लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। भारत में जल प्रबंधन की करीब एक सदी से टिकाऊ राह नही रही है।

1970 तक यहां की जनसंख्या 5.5 करोड़ थी, तब इसका प्रबंधन किया जा सकता था। उस वक्त शहरीकरण एवं औद्योगिकरण कम हुआ था। 2022 भारत की आबादी एक अरब 40 करोड़ के लगभग पहुंच गई। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण ने जल स्त्रोतों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। इसका सीधा असर भूजल स्तर पर पड़ रहा है क्योंकि भूजल स्तर को बढ़ाने में प्राकृतिक जल श्रोत ही सबसे बेहतर माध्यम है। लेकिन शहरीकरण होने से तालाबों को खत्म कर दिया गया है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि बेहतर कल के लिए जल संग्रहण बहुत जरूरी है। सभी भवनों में सख्ती से वर्षा जल संग्रहण प्रणाली की व्यवस्था और वर्तमान समय में मौजूद जलाशयों का जीर्णोधार किया जाए तो शहरों में धरा जल से भर उठेगी। नए जलाशयों को विकसित करके एवं मौजूद जलाशयों को पुनर्जीवित कर दिया जाए तो कुछ हद तक पानी की समस्या को समाप्त की जा सकती है। भवनों में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली लगाने का प्रावधान करना और नियम को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। सिर्फ फाइलों में नही रहे इसका ध्यान रखना होगा। तमाम छोटे बड़े शहरों में सीवरेज के पानी को देशी ढंग से ट्रीट कर खेती के उपयोग में लाकर बहुत बड़े स्तर पर पानी की बचत किया जा सकता है। सीवरेज के ट्रीट किए पानी को खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने से फसलों में अतिरिक्त खाद डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही धरती के नीचे में ट्यूबवेल के जरिए पानी निकालने के लिए खर्च किए जाने वाली बिजली व डीजल की भी बचत होगी। ट्रीट किए पानी खेती के लिए अमृत की तरह है और कुदरती खेती होने से इंसान बीमारियों से भी बचेगा। पानी को दोबारा उपयोग किए जाने से साफ पानी का खजाना हमारे पास सुरक्षित रह सकेगा। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे महंगी बिकने वाली लेकिन अधिक पानी सोखने वाली फसलों जैसे धान, गेहूं, कपास, गन्ना आदि की खेती करने वाले किसानों को हतोत्साहित करने की जरूरत है। जिन राज्यों में इनकी खेती हो रही है वहां भूजल का स्तर इतना नीचे चला गया है कि नलकूपों से पानी निकालना मुश्किल हो गया है। मगर यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विकल्प में किसान जिन कम पानी लेने वाली फसल उगाएं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हक में हो ताकि उन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकें। शीतल पेय बनाने वाली कंपनियों के भूजल दोहन से भी जल संकट गहराने की खबर है जिसे अविलंब रोकना होगा।

सरकारी मदद से नदियों को साफ करना मुश्किल काम नहीं है। देश भर में कार सेवा द्वारा अभियान चलाए जा सकते हैं। नदियों के अलावा तालाबों, छोटी झीलों का भी संरक्षण होना चाहिए। इससे मिट्टी की गाद निकलेगी। इससे उनमें वर्षा जल इकट्ठा होने लगेगा तो भूजल रिचार्ज होने लगेगा। बरसात का पानी की बर्बादी रुकेगी और और बाढ़ नही आएगी। इस पानी को जमा कर फिर से उपयोग में लाया जा सकेगा। इजरायल और सिंगापुर जैसे देश से हम इस बाबत बहुत कुछ सीख सकते हैं। इजरायल और सिंगापुर के लोगों ने वर्षा जल संचय के साथ पानी का बेहतर इस्तेमाल कर जल संकट से छुटकारा पा लिया है। हर नागरिक को जागरूक करना होगा कि हमें पानी को हर कीमत पर सहेजना है।

ईरान-इजराइल की जंग और भारत

बदलती दुनिया, बढ़ता तनाव : हमारे लिए 'वेक-अप कॉल'

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

दुनिया का इतिहास गवाह है कि हर बड़ा संकट केवल भय और अस्थिरता ही नहीं लाता, बल्कि अपने साथ संभावनाओं के नए द्वार भी खोलता है। आज पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। तेल की तपिश से लेकर शेयर बाजार की हलचल तक, हर तरफ अनिश्चितता का धुआँ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सजग हिंदुस्तानी के लिए यह समय केवल चिंतित होने का नहीं, बल्कि अपनी रणनीति को नया रूप देने और आत्मनिर्भरता को और मजबूत करने का है। यदि हम स्थिति को व्यापक दृष्टि से देखें, तो यह दौर हमें आर्थिक अनुशासन, स्वदेशी मजबूती और दीर्घकालिक सोच की ओर प्रेरित करता है।

आर्थिक प्रहार: चुनौती जो हमारे द्वार पर वैश्विक अस्थिरता का असर सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जेब पर दिखाई देता है।

ऊर्जा का दबाव: कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहती। इससे परिवहन महंगा होता है, उत्पादन लागत बढ़ती है और महंगाई की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है।

बाजार की अस्थिरता: जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो विदेशी निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ते हैं। अक्सर वे शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने या डॉलर जैसे सुरक्षित निवेश में लगाते हैं, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है।

लॉजिस्टिक्स की बाधा: खाड़ी क्षेत्र के समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहां तनाव बढ़ने का अर्थ है जहाजों का बीमा महंगा होना और माल ढुलाई की लागत बढ़ना। इसका असर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कई आयातित वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है।

रुपये की चुनौती: वैश्विक संकट के समय मेटल, ऑइल और डॉलर मजबूत हो जाता है, जिससे भारतीय रुपया दबाव में आ जाता है। कमजोर रुपया आयात को महंगा बनाता है और विदेश यात्रा या शिक्षा जैसे खर्चों को भी बढ़ा देता है।

प्रवासी भारतीयों की चिंता: पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय काम करते हैं और भारत को हर साल अरबों डॉलर का रेमिटेंस भेजते हैं। वहां अस्थिरता बढ़ने पर उनके रोजगार और सुरक्षा को लेकर चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है।

संकट में छिपे 'स्वदेशी' अवसर: जहाँ दुनिया इस समय असमंजस में है, वहीं भारत के लिए इस स्थिति में कई अवसर भी छिपे हुए हैं।

घरेलू पर्यटन की नई संभावनाएँ: जब अंतरराष्ट्रीय यात्राएँ महंगी या अनिश्चित हो जाती हैं, तो लोग अपने ही देश की ओर रुख करते हैं। पंचमढ़ी की हरियाली, लेह-लद्दाख की शांति, केरल के बैकवॉटर्स या उत्तराखंड की वादियाँ भारत के पास पर्यटन के अनगिनत विकल्प हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, होटल उद्योग, हस्तशिल्प और गाइड जैसे छोटे व्यवसायों को नई ऊर्जा मिल सकती है।

स्वदेशी उद्योगों के लिए अवसर: वैश्विक सप्लाई चेन में बाधा आने से देशों को स्थानीय उत्पादन पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। भारत के लिए यह मौका है कि वह अपने FMCG, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा उद्योग को और मजबूत बनाए।

ऊर्जा के नए रास्ते: तेल की बढ़ती कीमतें हमें यह याद दिलाती हैं कि भविष्य वैकल्पिक ऊर्जा का है। सौर ऊर्जा, हरित तकनीक और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती की आवश्यकता बन चुका है।

रक्षा क्षेत्र की संभावनाएँ: वैश्विक तनाव के दौर में कई देश अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में भारत का उभरता रक्षा उत्पादन क्षेत्र और "मेक इन इंडिया" पहल नए अवसर प्राप्त कर सकती है।

आर्थिक अनुशासन: हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा कवच

संकट के दौर में केवल सरकार ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों को भी आर्थिक समझदारी दिखानी होती है। सबसे पहले हर परिवार के पास कम से कम छह महीने के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अनिश्चित समय में यही सबसे बड़ा सहारा बनता है। इसके साथ ही अनावश्यक खर्चों से बचना भी जरूरी है। ऑनलाइन सेल और विज्ञापनों के दौर में गैर-जरूरी खरीदारी से दूरी बनाना भी आर्थिक अनुशासन का हिस्सा है। निवेश के मामले में भी घबराहट से बचना चाहिए। युद्ध या तनाव के समय सोने-चांदी की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन केवल डर के कारण निवेश करना समझदारी नहीं है। संतुलित निवेश और सोच-समझकर वित्तीय निर्णय लेना ही सुरक्षित रणनीति है।

भारत की ताकत: भरोसे की मजबूत नींव

इन चुनौतियों के बीच भारत की कई मजबूत आधारशिलाएँ हमें भरोसा देती हैं। भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, जो आर्थिक झटकों को संभालने में मदद करता है। खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत आज दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक है। कृषि उत्पादन और अनाज भंडारण की क्षमता हमें वैश्विक संकट के बावजूद सुरक्षित बनाए रखती है। भारत की संतुलित कूटनीति भी उसकी बड़ी ताकत है। पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध ऊर्जा आपूर्ति और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से अपने घरेलू बाजार पर आधारित होती जा रही है। 140 करोड़ की आबादी वाला विशाल उपभोक्ता बाजार बाहरी आर्थिक झटकों को काफी हद तक संतुलित करने की क्षमता रखता है।

भय नहीं, भविष्य चुनिए

इतिहास बताता है कि वही राष्ट्र आगे बढ़ते हैं जो संकट के समय घबराते नहीं, बल्कि नई दिशा खोजते हैं। आज का समय हमें आर्थिक अनुशासन, स्वदेशी मजबूती और दूरदर्शी सोच अपनाने की प्रेरणा देता है। जब दुनिया अनिश्चितता से जूझ रही है, तब भारत के सामने एक

स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में सतत् प्रगति पथ पर छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

- विगत दो वर्षों में **1600 से अधिक** चिकित्सकीय पदों पर भर्तियां
- दूरस्थ इलाकों तक सुगम चिकित्सा सेवाओं के लिए **पीएम जनमन योजना** अंतर्गत 57 डेडीकेटेड मोबाइल मेडिकल यूनिट
- टेलीमेडिसिन के माध्यम से विगत दो वर्षों में **2 लाख से अधिक** लोगों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत पिछले दो वर्षों में कुल 31.44 लाख से अधिक क्लेम प्रकरणों में लगभग **₹4551 करोड़** का उपचार/भुगतान
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत पिछले दो वर्षों में कुल 2273 लाभार्थियों को **₹62.20 करोड़** की उपचार सहायता
- मुख्यमंत्री शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष अंतर्गत विगत दो वर्षों में 177 कार्यों हेतु **₹271.45 करोड़** की प्रशासकीय स्वीकृति
- **5 नए** शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
- **6 नवीन** शासकीय फिजियोथैरेपी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
- **9 नवीन** शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना

R.O. No. : 13711/ 1

सुशासन से समृद्धि की ओर

ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)